

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव ।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 28/2/19

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड-39-2245021120002 के अन्तर्गत कुल ₹ 13.58 लाख (तेरह लाख अनठावन हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा।
- आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :
लघु शीर्ष -112- जनसंख्या का निष्क्रमण माँग संख्या-39
उपशीर्ष -0002- जनसंख्या का निष्क्रमण ।
विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष-01 नगद / वस्तु ।

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	विभाग	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018-19)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018-19)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1.	2.	3	4	5
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना	0.00 (शून्य)	13.58 (तेरह लाख अनठावन हजार)	13.58 (तेरह लाख अनठावन हजार)

4. यह आवंटन विभागीय स्वीकृति/आदेश संख्या-311/आ0प्र0 दिनांक 26.02.19 एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। निकासी की गई राशि चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से "Controller of Defence Accounts (AF), RK Puram, New Delhi" को उपलब्ध करायी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 20.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 20.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय झापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 20.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक- १४ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक-28/2/19
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- १४ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, "एन०डी०एम०ए० भवन" ए-1, सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली-110029, फैंक्स-011-26701744 को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- १४ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- १४ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- १४ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / कार्यवाह सहायक / लेखाशाखा (दो प्रति में) / आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव